न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
29/2021/प्रा.पत्र/2021	06.04.2021	16.05.2022

मदनलाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक .... प्रार्थी

बनाम

1–श्री चन्दन मल धर्मदासानी पुत्र श्री कंवरी लाल एफ.बी.ओ. मैसर्स शिव डिपार्टमेन्टल स्टोर कापडी मार्केट मालपुरा जिला टोंक राज. निवासी शिव कॉलोनी बृजलाल नगर मालपुरा जिला टोंक राज.
2–श्री राजकुमार सिंधी पुत्र श्री दौलत राम सिंधी एफ.बी.ओ. मैसर्स राजकुमार किराणा स्टोर ज्योति मार्केट मालपुरा जिला टोंक निवासी व्यास मार्ग वार्ड नं. 11 मालपुरा जिला टोंक राज.
...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं धारा 52 एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार उपस्थित।
2–अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री विजेन्द्र गोयल एवं श्री कैलाश प्रसाद शर्मा।

:–निर्णय–: **दिनांक 16.05.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 16.12.2020 को समय 05:10 पी.एम. पर मैसर्स शिव डिपार्टमेन्टल स्टोर कापडी मार्केट मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचा। वहॉ श्री चन्दन मल धर्मदासानी पुत्र श्री कंवरी लाल मिला, को अपना परिचय दिया एवं उनसे परिचय लिया तथा पूछने पर श्री चन्दन मल धर्मदासानी ने स्वयं को मैसर्स मैसर्स शिव डिपार्टमेन्टल स्टोर कापडी मार्केट मालपुरा जिला टोंक का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में अन्य खाद्य पदार्थ के साथ **प्रोपरायटरी फूड गजक मुरैना श्री महालक्ष्मी ब्राण्ड (Proprietary Food Gajak Murena Shri Mahalaxmi Brand)** 450–450 ग्राम के 11 नग मूल पैक रखे हुये थे, जिसे देखने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री चन्दन मल धर्मदासानी को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, विक्रेता को सूचित कर दोनों प्रतियों में विक्रेता श्री चन्दन मल धर्मदासानी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **प्रोपरायटरी फूड गजक मुरैना श्री महालक्ष्मी ब्राण्ड (Proprietary Food Gajak Murena Shri Mahalaxmi Brand)** वास्ते मानक स्तर की जांच

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

करवाने हेतु क्रय किए जा रहे हैं, 450–450 ग्राम के 4 नग मूल पैक खरीदे, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक ने खरीदशुदा 450–450 ग्राम के 4 नग मूल पैक **प्रोपरायटरी फूड गजक मुरैना श्री महालक्ष्मी ब्राण्ड (Proprietary Food Gajak Murena Shri Mahalaxmi Brand)** को बराबर–बराबर 1–1 नग को चार साफ व सूखे कागज के गत्ते के डिब्बों में रखकर एयर टाइट ढक्कन बन्द किया। चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबल पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–2734 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर सिर मुंह को गोद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप न. आई–2734 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येंक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

खाद्य पदार्थ **प्रोपरायटरी फूड गजक मुरैना श्री महालक्ष्मी ब्राण्ड (Proprietary Food Gajak Murena Shri Mahalaxmi Brand)** का नमूना क्रय करते समय श्री चन्दन मल धर्मदासानी पुत्र श्री कंवरी लाल एफ.बी.ओ. मैसर्स शिव डिपार्टमेन्टल स्टोर कापडी मार्केट मालपुरा जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी श्री राजकुमार सिंधी पुत्र श्री दौलत राम सिंधी एफ.बी.ओ. मैसर्स राजकुमार किराणा स्टोर ज्योति मार्केट मालपुरा जिला टोंक का बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2021/88 दिनांक 09.01.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/2459/एक्ट/2020/2338 दिनांक 29.12.2020 के अनुसार विक्रेता श्री चन्दन मल धर्मदासानी से वास्ते मानक स्तर की जांच कराने हेतु क्रय किया गया **प्रोपरायटरी फूड गजक मुरैना श्री महालक्ष्मी ब्राण्ड (Proprietary Food Gajak Murena Shri Mahalaxmi Brand)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) का उल्लंघन करने के कारण **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। प्रकरण में अप्रार्थीगण **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का **प्रोपरायटरी फूड गजक मुरैना श्री महालक्ष्मी ब्राण्ड (Proprietary Food Gajak Murena Shri Mahalaxmi Brand)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से दिनांक 21.10.2021 को एडवोकेट श्री विजेन्द्र गोयल एवं श्री कैलाश प्रसाद शर्मा ने वकालतनामा पेश कर जवाब हेतु समय चाहा। परन्तु कई अवसर देने के बावजूद भी कोई जवाब पेश नहीं किया गया है। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र पर अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **प्रोपरायटरी फूड गजक मुरैना श्री महालक्ष्मी ब्राण्ड (Proprietary Food Gajak Murena Shri Mahalaxmi Brand)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में स्तर **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** का होना पाया गया है, इसलिए अप्राथीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **प्रोपरायटरी फूड गजक मुरैना श्री महालक्ष्मी ब्राण्ड (Proprietary Food Gajak Murena Shri Mahalaxmi Brand)** नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माना की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री चन्दन मल धर्मदासानी पुत्र श्री कंवरी लाल एफ.बी.ओ. मैसर्स शिव डिपार्टमेन्टल स्टोर कापडी मार्केट मालपुरा जिला टोंक राज. निवासी शिव कॉलोनी बृजलाल नगर मालपुरा जिला टोंक राज.पर शास्ति रूपये 30,000 (अक्षरे तीस हजार रू0) तथा अप्रार्थी श्री राजकुमार सिंधी पुत्र श्री दौलत राम सिंधी एफ.बी.ओ. मैसर्स राजकुमार किराणा स्टोर ज्योति मार्केट मालपुरा जिला टोंक निवासी व्यास मार्ग वार्ड नं. 11 मालपुरा जिला टोंक राज. पर शास्ति रूपये 30,000 (अक्षरे तीस हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 16.05.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। निर्णय की प्रति अप्रार्थीगण एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(परशराम धानका)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0